कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) अधिनियम, 1986

(1986 का अधिनियम संख्यांक 27)

[23 मई, 1986]

कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का निरसन और उसके आनुषंगिक कुछ विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) अधिनियम, 1986 है।
 - (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
 - 2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) अभिप्रेत है;
 - (ख) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;
 - (ग) "आवासन बोर्ड" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित कोयला खान श्रमिकआवासन बोर्ड अभिप्रेत है।
- **3. 1947 के अधिनियम 32 का निरसन और आवासन बोर्ड का विघटन**—नियत दिन को, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम. 1947 निरसित हो जाएगा और कोयला खान श्रमिक आवासन बोर्ड विघटित हो जाएगा।
 - **4. पारिणामिक उपबन्ध**—आवासन बोर्ड के विघटन पर.—
 - (क) आवासन बोर्ड के सभी अधिकार और विशेषाधिकार केन्द्रीय सरकार के अधिकार और विशेषाधिकार हो जाएंगे :
 - (ख) सभी जंगम और स्थावर संपत्ति, जिनके अंतर्गत रोकड़-बाकी, आरक्षित निधियां, विनिधान और धनराशियां भी हैं, जो आवासन बोर्ड के नाम में जमा हैं और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार और हित, जो नियत दिन के ठीक पूर्व आवासन बोर्ड के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे तथा सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अभिलेख तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की अन्य दस्तावेजें केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएंगी:
 - (ग) आवासन बोर्ड के सभी प्रकार के उधार, दायित्व और बाध्यताएं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, ऐसे दिन से ही केन्द्रीय सरकार के, यथास्थिति, उधार, दायित्व और बाध्यताएं समझी जाएंगी ;
 - (घ) आवासन बोर्ड द्वारा, उसके साथ या उसके लिए की गई सभी संविदाएं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी विषय और बातें, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, ऐसे दिन से ही केन्द्रीय सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए की गई या किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ;
 - (ङ) ऐसी सभी अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र, जो आवासन बोर्ड को दिए गए हैं और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, ऐसे दिन से ही केन्द्रीय सरकार को दिए गए समझे जाएंगे और तद्नुसार प्रभावी होंगे।
- 5. सरकारी कंपनी में अधिकारों को निहित करने निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कंपनी ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिन्हें अधिरोपित करना वह सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने अनुपालन कर दिया है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी संपत्ति के संबंध में आवासन बोर्ड के अधिकार, हक और हित, उसमें निहित रहने के बजाय ऐसे निदेश के प्रकाशन की तारीख को अथवा ऐसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख को (जो नियत दिन के पूर्व की तारीख नहीं है) जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, सरकारी कंपनी में (जिसे इसमें इसके पश्चात्, सरकारी कंपनी कहा गया है) निहित हो जाएंगे और ऐसे निहित होने पर, ऐसी संपत्ति के संबंध में आवासन बोर्ड का, यथास्थिति, दायित्व या बाध्यता, केन्द्रीय सरकार का दायित्व या बाध्यता रहने के बजाय, उस सरकारी कंपनी का, यथास्थिति, दायित्व या बाध्यता हो जाएगी।
- 6. केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध वाद, आदि का चालू रहना—यदि नियत दिन को आवासन बोर्ड के संबंध में कोई वाद, अपील या सभी प्रकार की अन्य कार्यवाही, ऐसे बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित है तो उसका आवासन बोर्ड के विघटन के कारण उपशमन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा; किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही,

यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी।

- (2) जहां नियत दिन के पूर्व आवासन बोर्ड के पक्ष में या उसके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही के लिए कोई वाद हेतुक अथवा अपील का अधिकार उत्पन्न हुआ है और ऐसे वाद हेतुक पर किसी वाद या कार्यवाही का संस्थित किया जाना अथवा ऐसी अपील का फाइल किया जाना नियत दिन के पूर्व वर्जित नहीं था वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी अथवा ऐसी अपील फाइल की जा सकेगी।
- 7. निधि की धनराशियों, आदि का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना—िनयत दिन को, सभी धनराशियां और रोकड़-बाकी जो अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित कोयला खान श्रमिक आवासन तथा साधारण कल्याण निधि के आवासन खाते और साधारण कल्याण खाते में जमा हैं, भारत की संचित निधि की भाग हो जाएंगी और उसमें जमा की जाएंगी।
- **8. शुल्क की बकाया का संग्रहण और संदाय**—अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, नियत दिन के पूर्व अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत शुल्क के आगमन,—
 - (i) यदि संग्रह करने वाले अभिकरणों द्वारा संगृहीत किए जाते हैं किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक में संदत्त नहीं किए जाते हैं तो; और
 - (ii) यदि संग्रह करने वाले अभिकरणों द्वारा संगृहीत नहीं किए जाते हैं तो,

यथास्थिति, भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में, संदत्त किए जाएंगे अथवा, संगृहीत और संदत्त किए जाएंगे।